आज से मंडियों में ई-पास ही मान्य

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

प्रदेश में पहली मार्च से ई-मण्डी परियोजना लागू की जा रही है। इस परियोजना के तहत तयशुदा कृषि उत्पादों के मण्डी प्रपत्र जैसे फार्म संख्या छह, फार्म संख्या नौ और गेटपास इलेक्ट्रानिक रूप से मान्य होंगे यानि ई-मण्डी पोर्टल **emandi.up.gov.in** के जरिये जारी किये गये फार्म ही मान्य होंगे।

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा प्रदेश की सभी 220 मंडी स्थल निर्मित मण्डी समितियों में कृषि जिन्सों की खरीद-फरोख्त को सहज रूप से संचालित करने के लिए ई-मंडी के रूप में एक इलेट्रानिक पोर्टल एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है। ई-मंडी एक वे बेस्ड पोर्टल है जिसमें मंडी से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए लाइसेंस, फार्म संख्या छह, फार्म संख्या नौ, गेटपास आवेदन माड्यूल उपलब्ध हैं।

ई-मंडी के तहत फरवरी 2021 तक आठ लाख से अधिक फार्म संख्या छह, 4.8 लाख फार्म संख्या नौ और 1.8 लाख गेटपास आनलाइन जारी किये जा चुके हैं। केवल फरवरी में ही लगभग चार लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद का व्यापार ई-मंडी के जरिये हुआ है।

क्या है ई-मंडी से व्यापार की प्रक्रिया

मंडी स्थल में दाखिल होते ही किसानों और व्यापारियों को आनलाइन प्रवेश पर्ची जारी की जाती है। किसान अपने उत्पाद को नीलामी द्वारा या सीधे भी जिस लाइसेंसी व्यापारी को बेचता है उसके द्वारा आनलाइन फार्म छह जारी किया जाता है। फार्म संख्या छह जारी होने के बाद व्यापारी के स्टाक में वह उत्पाद मात्रा सहित जुड़ जाता है। व्यापारी जब दूसरे स्थानीय व्यापारी को अपना उत्पाद बेचता है तो वह फार्म संख्या नौ आनलाइन जारी करता है जिससे उसका स्टाक खारिज हो जाता है और दूसरे व्यापारी के स्टाक में दर्ज हो जाता है।